

मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक सी 3-8/2016/1/3

भोपाल, दिनांक 05 जून, 2017

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
मध्य प्रदेश।

विषय :- राज्य शासन के वर्दीधारी विभागों की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए आयु-सीमा का निर्धारण।

संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्रमांक सी 3-4/2016/1/3 दिनांक 12.07.2016.

संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य शासन की सेवाओं में लोक सेवा आयोग से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले वर्दीधारी पदों के लिए आयु सीमा निर्धारित की गई है। राज्य शासन द्वारा परिपत्र क्रमांक सी 3-8/2016/1/3 दिनांक 12 मई, 2017 के अनुक्रम में वर्दीधारी पदों के लिए निम्नानुसार आयु-सीमा निर्धारित की जाती है :-

क्र.	भर्ती का तरीका	म.प्र. लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले वर्दीधारी पदों (राजपत्रित/ अराजपत्रित/ कार्यपालिक) के लिए	लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर के तृतीय/ चतुर्थ श्रेणी के वर्दीधारी पदों के लिए
		न्यूनतम/अधिकतम आयु सीमा (वर्ष में)	
(1)	खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के भरे जाने वाले पदों के लिए	21 से 28	18 से 25

3-8-17/2016


2. मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आयु-सीमा में अधिकतम छूट

(1)	पुरूष आवेदक (अनारक्षित वर्ग)	28+05=33	25+08=33
(2)	महिला आवेदक (अनारक्षित वर्ग) पुरूष/महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग)/ शासकीय/निगम/मण्डल/ स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक/निःशक्तजन	28+10=38	25+13=38

2/ यदि वर्दीधारी विभागों के भर्ती नियमों में उपरोक्त निर्धारित आयु-सीमा से अधिकतम आयु-सीमा निर्धारित है तो विभागीय भर्ती नियमों के अनुसार ही रहेगी।

3/ शेष शर्तें परिपत्र दिनांक 12 मई, 2017 में जारी निर्देश के अनुसार रहेंगी।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार


(के. के. कातिया)
अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक सी 3-8/2016/1/3


भोपाल, दिनांक 05 जून, 2017

प्रतिलिपि :-

1. राज्यपाल के सचिव, म.प्र. राजभवन, भोपाल।
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर/भोपाल।
3. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर।
4. प्रमुख सचिव/सचिव मुख्य मंत्री कार्यालय, म.प्र.।

5. मान. मंत्री/राज्य मंत्रीगण के निज सचिव/निज सहायक, म.प्र.।
6. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, म.प्र. भोपाल।
7. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल।
8. अध्यक्ष, प्रोफेशनल एक्जामिनेशन बोर्ड, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव/सचिव/उप सचिव/अवर सचिव (स्थापना/अधीक्षण), मध्य प्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
10. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल।
11. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म.प्र. भोपाल।
12. सचिव, म.प्र. राज्य निर्वाचन, भोपाल।
13. सचिव, लोकायुक्त, मध्य प्रदेश भोपाल।
14. सचिव, लोक सेवा आयोग, मध्य प्रदेश इन्दौर।
15. सचिव, म.प्र. राज्य सूचना आयोग, भोपाल।
16. सचिव, म.प्र. मानव अधिकारी आयोग, भोपाल।
17. मुख्य सचिव के उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल।
18. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, खण्डपीठ इन्दौर/ग्वालियर।
19. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्य प्रदेश भोपाल।
20. समस्त जिला कोषालय अधिकारी, मध्य प्रदेश।
21. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय भोपाल।
22. अध्यक्ष, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति, भोपाल।
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, म.प्र.।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


अपर सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग